

Goms-2021/102

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला कराला

मु० न०:- 50/2021

तारीखरजू:- 16/6/21

उनवान:- रत्तीराम बनाम ओमप्रकाश


दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

दिनांक
6/21


वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राज०टो०एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.07.2021 को पेश हो।

2830-94
16-6-21


(दुर्गा प्रसाद मीन)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

17.7.21 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 6 से 58 के सम्मन स्वयं या परिभाजन पर तामील हो चुके हैं किन्तु उपस्थित नहीं हैं। प्रतिवादी नं. 59 ने तामील करने से इन्कार किया है। प्रतिवादी नं. 60 से 63 के सम्मन वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं। P.O. को करौली पधारने से अर्द्धन्दा दिनांक 5.7.21 को पेश हो।

5.7.21 वकील अभ्यपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 6 से 58, 64, 65 अप्रचुद सूचना उपस्थित नहीं हैं। प्रतिवादी नं. 59 ने सम्मन प्राप्त करने से इन्कार किया है। इनकी तामील जानी जाती है। अतः प्रतिवादी नं. 6 से 59, 64, 65 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 60 से 63 के पुनः सम्मन तापवमा पेश करें। वास्तु तालबी व जबाब पेश करने दिनांक 13.7.21 को पेश हो।





र ले
प्रालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

20²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील व वाडी
उपस्थित नही हुआ। वार -2 आवाज डिलाई
गई। कोई उपस्थित नही हुआ। इसलिए वाडी
का डावा तकास्मा व स्पाई निषेधाला अदम
डाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया जाल
है। पत्रावली फैसल शुभार हेकर नम्बर से
कम हेकर दाखिल दफ्तर हो।

(5)